(11)

आदेश

12.07.18

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, डोमचांच द्वारा दाखिल–खारीज वाद सं0–07/2015 में पारित आदेश दिनांक–31.08.2015 के विरूद्ध आवेदक श्री कामेश्वर चौधरी वगैरह् पिता–जोबराज चौधरी ग्राम–डोमचांच द्वारा अपील वाद दायर किया गया है।

आवेदक (प्रथम पक्ष) का कहना है कि मौजा–डोमचांच खाता नं0–854 प्लॉट नं0–3973 रकवा–0.07 एकड़ भूमि निबंधित केवाला सं0–1977 दिनांक–05.05.1995 द्वारा अन्नत प्र0 मेहता और शीव नन्दन प्र0 मेहता से क्रय कर दखलकार हुए और प्रश्नगत भूमि घरवारी है जिसमें चाहरदिवारी के अन्दर पक्का घर, कुआँ बनाकर एवं पेड पौधा लगाकर शान्ति पूर्वक दखलकार है और संयुक्त रूप से सरकार को मालगूजारी का भुगतान कर रहें है।

आवेदक (प्रथम पक्ष) का यह भी कहना है कि स्व0 जोबराज महतो के चार लडके (1.) लखन लाल सुण्डी (2.) मदन प्रसाद (3.) लक्षमण प्रसाद (4.) कामेश्वर प्रसाद थे। केवाला कराने के समय मदन प्रसाद जीवित थे और वकिल (अधिवक्ता) थे। मदन प्रसाद (अधिवक्ता) गलत नियत से अपनी पत्नी शकुन्तला देवी विपक्षी सं0–02 का नाम केवाला संख्या–1977 दिनांक–30.05.1995 में चढ़ा दिया गया। जिसपर आवेदकों द्वारा आपति किये जाने पर दिनांक–10.05.1995 को हुए घरेलु पंचायत में मदन प्रसाद द्वारा स्वीकृत किया कि प्रश्नगत भूमि खाता नं0–854 प्लॉट नं0–3973 खरीदगी रकवा–07 डी0 पर न मै और न मेरा पत्नी शकुन्तला देवी एवं वारिसान भविष्य में दावा दखल नहीं करेंगे। चूंकि इस भूमि के लिए खर्चा एवं लागत रूपये नहीं दिया हूँ। इस लिए यह कागज बना दिया, ताकि भविष्य में काम आवे एवं सभी घर के सदस्यगण मेरे सामने हस्ताक्षर किया और मैं भी किया। आवेदकों की माँ सोनामती देवी पति–स्व0 जोबराज महतो जीवित है। इनके द्वारा दिये गये शपथपत्र में अपने चारों बेटों का जीक्र किया गया है, जिसमें लखन लाल सुण्डी और मदन प्रसाद अलग–अलग व्यक्ति है।

C.C.N. 252 19/03/18

आवेदक (प्रथम पक्ष) का यह भी कहना है कि शकुन्तला देवी गलत नीयत से जमीन हड़पने के लिए अपने पति लखन लाल सुण्डी उर्फ मदन प्रसाद के नाम से कागजात तैयार कर दिखाया जा रहा है। जबकि लखन लाल सुण्डी का मृत्यु वर्ष 1970 में हुआ है एवं मदन प्रसाद का मृत्यु दिनांक–22.01.2005 को हो गया है।

C.C.N. 263 10/05/18

शकुन्तला देवी के विरूद्ध धोखाघडी के आरोप में अनिल साव (विपक्षी) के द्वारा धारा 420,468,467, आई0पी0सी0 के अन्तर्गत डोमचांच थाना में केश दायर किया गया जिसका केश नं0–184/13 राज्य बनाम शकुन्तला देवी है। जिसमें शकुन्तला देवी जेल भी गई थी। जिससे बचने के लिए कथित केवाला कर दिया ताकि पैसा वापस नही करना पडे।

आवेदक (प्रथम पक्ष) का यह भी कहना है कि केवाला सं0–4326/4129 दिनांक–23.09.2014 को रदद् करने हेतु व्यवहार न्यायालय सिविल जज (सिनीयर डीवीजन) III, कोडरमा के न्यायालय में टाईटल सूट चल रहा है जिसका केश नं0–42/15 दिनांक–17.04.2015 है।

12/7

साक्ष्य के रूप में आवेदक के द्वारा निम्नलिखित कागजात दाखिल किया गया है।

1. दिनांक–23.05.2012 को सोनामती देवी द्वारा किया गया शपथ पत्र।
2. जिला अवर निबंधक पदाधिकारी, कोडरमा का पत्रांक–192 दिनांक–12.07.18 की छायाप्रति।
3. अंचल अधिकारी,डोमचांच का पत्रांक–556 दिनांक–25.07.18 की छायाप्रति।
4. मुखिया नीतु कुमारी द्वारा दिनांक–18.09.2012 को दिया गया प्रतिवेदन।
5. लखन लाल सुण्डी का खतियान की छायाप्रति
6. लखन लाल सुण्डी के नाम सरकारी मालगूजारी रसीद की छायाप्रति।
7. घरेलु पंचायत का कागज की छायाप्रति।
8. टाईटल सूट नं0–42/2015 की छायाप्रति।
9. दिनांक–20.01.2005 को मदन प्रसाद के नाम निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
10. डोमचांच थाना केश नं0–180/2013 राज्य बनाम शकुन्तला देवी का छायाप्रति।
11. शकुन्तला देवी पति–मदन प्रसाद का नाम मो0 20/–रूपये स्टाम्प पर दिखाये गये का छायाप्रति।
12. टी0एस0न0 24/12 शकुन्तला देवी बनाम कविलाश देवी में पारित आदेश की छायाप्रति।
13. केवाला दिनांक–18.04.1961 की छायाप्रति।
14. दिनांक–03.01.2015 वकालतन नोटिस का छायाप्रति।
15. दिनांक–17.11.2012 को शकुन्तला देवी और अनील साव द्वारा किया गया एकरारनामा की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष (विपक्षी) का कहना है कि मौजा–डोमचांच के अन्तर्गत खाता नं0–854 प्लॉट नं0–3973 रकवा–07डी0 भूमि आवेदक कामेश्वर चौधरी, लक्षमन चौधरी के साथ विपक्षी सं0–02 शकुन्तला देवी पति–लखन लाल सुण्डी उर्फ मदन प्रसाद केवाला संख्या–1997 दिनांक–05.05.1995 से क्रय की गई है। क्रय की गई 07डी0 भूमि के मधे 02 डी0 भूमि विपक्षी सं0–02 के द्वारा क्रय की गई भूमि विपक्षी सं0–01 को निबंधित केवाला सं0–4129 दिनांक–19.09.2014 को बिक्री किया गया है। जिसका मुटेशन केश नं0–07/2015 के द्वारा दिनांक–31.08.2015 को अंचल कार्यालय द्वारा दाखिल–खारीज किया गया है एवं दखलकार है।

द्वितीय पक्ष (विपक्षी) का यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर टाईटल सूट चल रहा है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं कागजातों को अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निबंधित केवाला सं0–1977 दिनांक–05.05.1995 द्वारा क्रय की भूमि मौजा–डोमचांच खाता नं0–854 प्लॉट नं0–3973 रकवा–0.02 एकड़ भूमि को लेकर माननीय सिविल जज (डीवीजन) III, कोडरमा के न्यायालय में टाईटल सूट चल रहा है

जिसका टाईटल सूट केश नं0–42/15 है। ऐसी परिस्थिति में कोई आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः सक्षम व्यवहार न्यायालय कोडरमा द्वारा टाईटल सूट नं0–42/15 में जबतक कोई आदेश पारित नही होता है तबतक मौजा–डोमचांच के अन्तर्गत खाता नं0–854 प्लॉट नं0–3973 रकवा–0.02 एकड़ भूमि के मालगूजारी रसीद निर्गत करने पर रोक लगाई जाती है। आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल अधिकारी, डोमचांच को वापस भेजें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

12/7/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

12/7/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।